



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ,

कार्मिक विभाग मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

ऑनलाइन (नोटिफिकेशन) अधिसूचना

रोजगार सूचना सं. पी-एचक्यू/आरआरसी/762/ 2024-25

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वर्ष 2024-25 के लिये स्काउट एवं गाइड कोटा के अंतर्गत भर्ती हेतु ऑनलाइन केन्द्रीयकृत अधिसूचना।

जारी करने की तारीख 07.09.2024

अंतिम तारीख 06.10.2024 के 23:59 बजे तक

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर स्काउट एवं गाइड कोटा : 2024-25 के अंतर्गत, 02 (दो) पदों पर जो कि लेवल -2, (7th सीपीसी) तथा 6 (छः) पदों पर जो कि लेवल -1 (7th सीपीसी) के भर्ती हेतु सुयोग्य एवं उत्कृष्ट स्काउट एवं गाइड उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है।

1. पदों का विवरण :

क.	पद	पदों की संख्या	वितरण
1.	ग्रुप 'सी' लेवल- 2 (7 th सीपीसी)	02 (दो)	संपूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर।
2.	भूतपूर्व ग्रुप 'डी', लेवल-1 (7 th सीपीसी)	06 (छः)	बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर, प्रत्येक मंडल के लिये 02 पद।

2. शैक्षणिक योग्यता : (अनिवार्य)

क्रमांक	पद	शैक्षणिक योग्यता
1.	ग्रुप 'सी' लेवल-2 (7 th सीपीसी)	i) 12वीं (+2रतर) या इसके समकक्ष परीक्षा में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष (अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिकों तथा उच्च शिक्षित जैसे स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य नहीं होगा।) या ii) एक्टअप्रेंटिसशिप कोर्स पूर्ण किया हुआ/आईटीआई पास (NCVT या SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड में) (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल, इलैक्ट्रिकल और एस एंड टी विभाग में आर्टीजन के पदों के लिए) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित कोई भी अन्य योग्यता को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2	भूतपूर्व ग्रुप 'डी' लेवल-1 (7 th सीपीसी)	न्यूनतम दसवी कक्षा पास या आईटीआई या समकक्ष या NCVT द्वारा जारी किया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र।

(उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को होनी चाहिए।)

3. स्काउट/गाइड संबंधी योग्यता: (अनिवार्य)

(निम्नलिखित स्काउट/गाइड संबंधी योग्यता लेवल -1 (7th सीपीसी) एवं लेवल-2 (7th सीपीसी) दोनों पदों के लिये लागू होगी।)

उम्मीदवार के पास -

- (i) किसी भी सेक्शन में राष्ट्रपति (प्रेसीडेंट) से प्राप्त स्काउट्स/गाइड्स/रोवर्स/रेंजर्स या हिमालयन वुड बैच (एच.डब्ल्यू.बी.) होल्डर होने चाहिए।
- (ii) विगत 5 वर्षों से स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। अनुलग्नक -'ए' के अनुरूप 'सक्रियता प्रमाण पत्र' होना चाहिए (संलग्न)। कोई भी सदस्य एक ही समय में या समानांतर दो राज्य (state) के स्काउट एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकते हैं। "सक्रियता प्रमाण पत्र" में स्पष्ट रूप से ग्रुप लीडर, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गनाइजिंग कमिश्नर (स्काउट्स या गाइड्स) और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर/ (स्काउट्स या गाइड्स) का तारीख के साथ हस्ताक्षर और नाम लिखा होना चाहिए। "सक्रियता प्रमाण पत्र" जिसमें उपरोक्त अधिकारियों के हस्ताक्षर, नाम एवं तारीख न लिखा हो तो संक्षिप्त रूप से अस्वीकृत होगा और ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) राष्ट्रीय स्तर अथवा अखिल भारतीय रेलवे स्तर के दो कार्यक्रमों में सहभागिता होनी चाहिए।
- (iv) राज्य स्तर के दो कार्यक्रमों में सहभागिता होनी चाहिए।

[नोट: जिन उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त मद 3 (i) से 3 (iv) (अनिवार्य) के अनुरूप स्काउट/गाइड योग्यता नहीं है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।]

4. आयु सीमा: (01/01/2025)

लेवल-	उम्र समूह	न्यूनतम आयु	ऊपरी आयु		
लेवल-2	उम्र समूह 18-30 वर्ष	01.01.2007	अनारक्षित	अपिव	अजा/अजजा
		सभी वर्ग के लिए	01.01.1995	01.01.1992	01.01.1990
लेवल-1	उम्र समूह 18-33 वर्ष		01.01.1992	01.01.1989	01.01.1987

4.1 आयु सीमा में छूट :

- 4.1.1 सेवारत रेलवे कर्मचारियों जो लगातार तीन वर्षों तक सेवा दे चुका/ चुकी है एवं एवजी के रूप में भी जिन्होंने लगातार या अवधि भंग के रूप में 3 वर्षों तक रेलवे में कार्य किया है।

अनारक्षित	अपिव	अजा/अजजा
40 वर्ष	43 वर्ष	45 वर्ष

- 4.1.2 विधवा/तलाकशुदा महिलाओं तथा ऐसी महिलाओं जो कानूनी रूप से अपने पति से अलग हों परंतु पुनर्विवाह न की हो।

अनारक्षित	अपिव	अजा/अजजा
35 वर्ष	38 वर्ष	40 वर्ष

- 4.1.3 01.01.1980 से 31.12.1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन में सामान्य रूप से अधिवारी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष।

- 4.1.4 रेल संगठन के अर्द्धशासकीय- प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने वालों के लिए 5 वर्ष तक (अथवा) ऐसे प्रतिष्ठानों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा में से जो भी कम हो, आयु सीमा में शिथिलता प्रदान किया जाएगा।

4.1.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए शिथिलता की अवधि - रक्षा सेवा में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि +3 वर्ष बशर्ते अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन दिनांक से न्यूनतम 6 माह की रक्षा सेवा होनी चाहिए एवं रिजर्व सैनिक के लिए 40 वर्ष की आयु तक किसी भी सरकारी नौकरी में सेवारत न हो।

4.1.6 निःशक्त जनों के लिए-

पद एवं उम्र सीमा	अनारक्षित	अपिव	अजा/अजजा
लेवल -2 (7 th सीपीसी) पदों के लिए	40 वर्ष	43 वर्ष	45 वर्ष
लेवल -1 (7 th सीपीसी) पदों के लिए	43 वर्ष	46 वर्ष	48 वर्ष

- नोट** (i) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव के समय चयनित उम्मीदवारों की कोटि एवं उन्हें पदस्थापित किए जाने का स्थान का निर्धारण किया जाएगा।
- (ii) अधिसूचित पदों के समुदाय के आबंटन का निर्धारण चयनित उम्मीदवारों के समुदाय के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजते समय किया जाएगा। तदनुसार सभी कोटि (अनारक्षित / अपिव / अजा / अजजा) के पात्र उम्मीदवार अधिसूचित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- (iii) अजा/अजजा समुदाय के उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जो कम से कम तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अनुलग्नक- 'बी' में दिए गए प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करें।
- (iv) अपिव समुदाय के उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के अनुलग्नक-'सी' में दिए गए प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपिव के उम्मीदवारों को अनुलग्नक- 'डी' में दिए गए प्रारूप में नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस का स्व-घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। अपिव समुदाय के उम्मीदवार अपिव प्रमाण पत्र एवं नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस का स्व-घोषणा पत्र को स्कैन कर अपलोड करें। I
- (v) सेवारत रेल कर्मचारी एवं अर्द्धशासकीय रेल संगठन के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी : नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" एवं "बोनाफाइड प्रमाण पत्र", जिसमें नियमित सेवा अवधि को दर्शाया गया हो, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (vi) तलाकशुदा/कानूनी रूप से अपने पति से अलग महिला : तलाकशुदा होने/कानूनन अपने पति से अलग हो जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रति एवं तब से अब तक पुनर्विवाह न किए जाने के संबंध में शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। I
- (vii) विधवा : अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह न किए जाने के संबंध में शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। I
- (viii) भूतपूर्व सैनिक: डिस्चार्ज प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। I
- (ix) दिव्यांग व्यक्ति : सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'दिव्यांगता प्रमाण पत्र', जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत बनाए गए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और उस बोर्ड में कम-से-कम तीन सदस्य रहे हों एवं उनमें से एक सदस्य शारीरिक/मानसिक/दृश्य/श्रवण दिव्यांगता, जो भी स्थिति हो, के विशेषज्ञ हों, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। I
- (x) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का अर्थ है ऐसे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000/- से कम हो। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वालों की पहचान हेतु आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी प्राधिकृत हैं : -(ए) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर के अन्य कोई राजस्व अधिकारी। (बी) लोकसभा का वर्तमान सदस्य, उनके स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिये। (सी) देश के किसी भी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के लिये केन्द्रीय मंत्री सिफारिश कर सकते हैं। (डी) राज्यसभा का वर्तमान सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां सांसद सामान्यतः निवास करते हों।

[नोट : बीपीएल कार्ड या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी अन्य कोई प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी किया गया इज्जत एमएसटी भी मान्य होगा।]

आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार आय प्रमाण पत्र का प्रारूप जैसा कि अनुलग्नक - 'ई' में है स्कैन कर अपलोड करें।

- (xi) जो उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय के हैं (मुस्लिम, किश्चियन, सिक्ख, बौद्ध, जोरोस्ट्रियस (पारसी), अल्पसंख्यक समुदाय का घोषणा पत्र अनुलग्नक 'एफ' के प्रारूप में जमा करें।

5 परीक्षा शुल्क:

- (5.1) नीचे उप-कण्डिका (5.2) में वर्णित को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र)। वापस करने के प्रावधान के साथ जो वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनके लिये 400/- (रुपये चार सौ मात्र) वापसी योग्य।
- (5.2) एससी/एसटी समुदायों के उम्मीदवारों महिलाएं, ट्रॉसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध तथा पारसी) दिव्यांग व्यक्तियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये 250/- (रुपये दो सौ पचास मात्र) वापस करने के प्रावधान के साथ जो वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनके लिये 250/- (रुपये दो सौ पचास) वापसी योग्य।
- (5.3) दोनो पदों (यानी लेवल-2 (7TH सी पी सी) एवं लेवल -1 (7TH सी पी सी) के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को पृथक-पृथक शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (5.4) ऑनलाइन आवेदन करते समय प्राप्त निर्देश के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करें।

6. आवेदन कैसे करें -

ऑनलाइन आवेदन करने के पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में अपने साथ तैयार रखें।

- (ए) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (25 मे 75 केवी)
- (बी) स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर
- (सी) आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति (अजा/अजजा/अपिव) और स्काउटिंग योग्यता (राष्ट्रपति स्काउटस/गाइड/रोवर/रेंजर या एच.डब्ल्यूबी (स्काउटस/गाइड/रोवर/रेंजर) के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सभी प्रतिलिपि स्व: अभिप्रमाणित होनी चाहिए।
- (डी) पिछले पांच वर्षों से स्काउटिंग/गाइडिंग ग्रुप के सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र ग्रुप लीडर (स्काउटस/गाइडस), जिला ऑर्गनाइजिंग कमिश्नर (स्काउटस/गाइडस) जिला कमिश्नर/(स्काउटस/गाइडस) द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरित अनुलग्नक-ए के प्रारूप में होनी चाहिए।
- (ई) अपिव प्रमाण पत्र अनुलग्नक-सी के प्रारूप एवं अपिव स्व- घोषणा पत्र अनुलग्नक - डी के प्रारूप होनी चाहिए।
- i) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाइट को देखें: www.secr.indianrailways.gov.in → Recruitment → RRC Bilaspur
- ii) नोटिफिकेशन फॉर स्काउटस एंड गाइड कोटा 2024-25 " लिंक पर क्लिक करें।
- iii) न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- iv) व्यक्तिगत जानकारी हेतु आवेदक अपना मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदान करें। (कृपया अपना व्यक्तिगत मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदान करें। सभी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्रदान की जायेगी।
- v) आवेदन सबमिट होने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी पर एसएमएस प्राप्त होगा।

- vi) अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी का इनबॉक्स ओपन करें तथा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड को नोट करें।
- vii) ईमेल/एसएमएस में भेजे गए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें।
- viii) अनुदेशों का पालन करें एवं चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
- ix) फोटो, हस्ताक्षर, आपेक्षित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियाँ जैसा कि उपर ए से ई तक बताया गया है, स्कैन कर अपलोड करें।
- x) आवेदन सबमिट करें। आवेदन की दो प्रतियाँ प्रिंट कर अपने पास रखें।

{रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें। अगले चरण में इसकी आवश्यकता होगी जैसे लिखित परीक्षा का बुलावा पत्र डाउनलोड करने, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने इत्यादि। हस्ताक्षर रनिंग हस्तलिपि में होना चाहिए और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए।}

उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिये हुये कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दें (अधिकतम-4) राज्य स्तर पर भाग लिए गए कार्यक्रम (अधिकतम-4) विशेष स्काउट/गाइड पाठ्यक्रम में भाग लिए (अधिकतम -2) और जिला स्तर पर भाग लिए हुये कार्यक्रम (अधिकतम-3), प्रमाण पत्र संख्या, कार्यक्रम की तिथि, कार्यक्रम की जगह इत्यादि का पूर्ण विवरण दें। सिर्फ वर्णित प्रमाण पत्र ही दस्तावेज सत्यापन के समय जाँच किए जायेंगे। दस्तावेज सत्यापन के समय अन्य कोई प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. अमान्य आवेदन

आवेदन में किसी तरह की कमियाँ/खामियाँ या अनियमितता होने से संक्षिप्त रूप से अमान्य कर दिया जायेगा।

- i) अनुचित तरीके से स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर वाला आवेदन।
- ii) उचित प्रमाण पत्रों के बिना आवेदन, जैसे कि जन्मतिथि के संबंध में, शैक्षणिक योग्यता, स्काउटिंग योग्यता, जाति(अजा/अजजा/अपिव एवं अपिव का स्व-घोषणा पत्र)। प्रमाण पत्र वर्णित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करें।
{उम्मीदवार के पास नोटिफिकेशन की तिथि को शैक्षणिक/स्काउटिंग योग्यता होनी चाहिए।}
- iii) अन्य कोई अनियमितता जो समझा जाए।

8. महत्वपूर्ण निर्देश :

- 8.1 उम्मीदवार आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं, उन्हें आपेक्षित जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्णित प्रारूप में जमा करें तथा अपलोड करना है अन्यथा उनका आरक्षण स्थिति का दावा पर विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित माना जायेगा बशर्ते वे अनारक्षित उम्मीदवार की पात्रता पूरी करते हैं।
- 8.2 उम्मीदवारों द्वारा गलत घोषणा/विवरण देने की स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 8.3 चयन प्रक्रिया के सभी मामलों में रेलवे का निर्णय अंतिम होगा।
- 8.4 हिन्दी अधिसूचना में किसी तरह का शंका या संदेह की स्थिति में अंग्रेजी अधिसूचना को सही माना जाएगा।
- 8.5 उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि आर आर सी बिलासपुर की वेबसाइट देखें : www.secr.indianrailways.gov.in . →Recruitment → RRC/Bilaspur.

- 9. किसे आवेदन करें - लेबल -2 (7TH सीपीसी) के पद तथा लेबल-1 (7TH सीपीसी) के पद में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पृथक रूप से अंतिम तिथि 06/10/2024 के 23.59 बजे के अंदर रजिस्टर्ड करें।

10. चयन प्रक्रिया : स्काउट एवं गाइड कोटा के अंतर्गत लेवल-2 (7TH सीपीसी) एवं लेवल-1 (7TH सीपीसी) के पदों पर भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों, जिनके आवेदन सही पाए गए हों, का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा।

ए	लिखित परीक्षा	60 अंक
	लेवल -1 और लेवल -2 के लिए लिखित परीक्षा में 40 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पी) (40 अंक) 1 निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न 20 (बीम) अंक होगा, जिसमें स्काउट एवं गाइड संगठन, उसके क्रियाकलाप, सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न शामिल होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम नीचे 11 पर दिया गया है।)	
बी	प्रमाण-पत्रों पर अंक	40 अंक
	i) राष्ट्रीय आयोजन/ राष्ट्रीय जम्बूरी में भागीदारी (अखिल भारतीय रेल आयोजन सहित)	10 अंक
	• प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात् न्यूनतम वांछित योग्यता)	कोई नहीं
	• एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र	07 अंक
	• दो या अधिक अतिरिक्त प्रमाण पत्र	10 अंक
	ii) राज्य स्तर के आयोजन/गैलियों में भागीदारी	10 अंक
	• प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात् न्यूनतम वांछित योग्यता)	कोई नहीं
	• एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र	07 अंक
	• दो या अधिक अतिरिक्त प्रमाण पत्र	10 अंक
	iii) राष्ट्रीय /राज्य /अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर संगठित विशेषी /स्काउट्स / गाइड्स पाठ्यक्रम	10 अंक
	• एक पाठ्यक्रम	07 अंक
	• दो पाठ्यक्रम	10 अंक
	iv) जिला रैलियों में भागीदारी	10 अंक
	• एक प्रमाण पत्र	कोई नहीं
	• दो प्रमाण पत्र	07 अंक
	• तीन प्रमाण पत्र	10 अंक

नोट : ए) लिखित परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से ली जायेगी।

बी) लेवल-2 एवं लेवल -1 के लिए अलग- अलग लिखित परीक्षा होगी।


- 10.1 किसी पद पर तैनात किए जाने के पूर्व चयनित उम्मीदवार को उक्त पद हेतु निर्धारित चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी।
- 10.2 लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों को बुलावा पत्र से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी। लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। लेवल-2 (7TH सी पी सी) एवं लेवल-1 (7TH सी पी सी) दोनों ही पदों में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी।
- 10.3 क्लर्कों की सभी श्रेणियों के लिए स्काउट एवं गाइड कोटा के तहत नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर टंकण में प्रवीणता की आवश्यकता होगी और उनकी नियुक्ति निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित टंकण योग्यता प्राप्त करने के अधीन अनंतिम होगी।

पात्र उम्मीदवारों की सूची एवं अद्यतन जानकारी (अपडेट्स) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in पर दी जाएगी।

11. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम : लेबल-2 (7AM मी पी मी) एवं लेबल 1 (7AM मी पी मी) ग्रेड वाले दोनों पदों के लिये) :

स्काउट/गाइड का इतिहास, नियम एवं प्रतिज्ञा, जिला एवं राज्य स्तर पर संगठन, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र, भारत में लडकों के लिए स्काउटिंग/लडकियों के लिए गाइडिंग से संबंधित पुस्तकों की जानकारी, बांया हाथ मिलाने का उद्देश्य, सलागी, प्रार्थना, झंडागीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय एवं स्काउटिंग झंडे का ज्ञान, विभिन्न अवसरों पर समाजसेवा, पदयात्रा, दक्षता वैज, इन्हें कैसे अर्जित किया जाता है? स्काउटिंग/गाइडिंग के चरण, चिंतन दिवस, स्काउट/गाइड/रोवर्स/रेंजर्स का प्रगामी प्रशिक्षण, पायोनियरिंग, हस्तशिल्प, भारतीय रेल जम्बोरेट, राष्ट्रीय जम्बूरी, वायु में जम्बूरी।

राष्ट्रीय स्तर पर संगठन, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, डब्ल्यू.ए.जी.जी.जी.एस./डब्ल्यू.ओ.एस.एम., उपराष्ट्रपति पुरस्कार प्रतियोगिता, प्रधानमंत्री शिल्ड प्रतियोगिता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्काउटिंग की विधि एवं उद्देश्य, अच्छे नागरिकों के निर्माण में स्काउटिंग किस प्रकार सहायक है।



अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
द.पू.म. रेलवे/बिलासपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:-

- 1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/बिलासपुर।
- 2) मण्डल रेल प्रबंधक, द.पू.म.रेलवे बिलासपुर, रायपुर, नागपुर।
- 3) मुख्य कारखाना प्रबंधक/वैरिशा/रायपुर।
- 4) जिला मुख्य आयुक्त, अपर मंडल रेल प्रबंधक/द.पू.म. रेलवे/बिलासपुर/रायपुर/नागपुर।
- 5) मुख्य कारखाना प्रबंधक, मोतीबाग कारखाना - नागपुर, उप मुख्य सामाग्री प्रबंधक/जीएसडी/रायपुर
- 6) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/बिलासपुर। अनुरोध है कि कृपया इस रोजगार सूचना को रोजगार समाचार में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें और तदनुसार इस कार्यालय को सूचित करें।
- 7) महासचिव, दपूमरे मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेल कर्मचारी संघ/बिलासपुर, अखिल भारतीय अपिव रेल कर्मचारी संघ/बिलासपुर।
- 8) निदेशक, रोजगार कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 9) स्टेट चीफ कमिश्नर/स्काउट्स-गाइड्स / द.पू.म.रेलवे/बिलासपुर

अनुलग्नक :- यथोक्त



अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
द.पू.म. रेलवे/बिलासपुर

सक्रिय सदस्यता प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि (नाम).....राज्य/जिला/मंडल
.....ग्रुपकेवर्षों से सक्रिय सदस्य हैं जो
राज्य/जिला संगठन में विधिवत पंजीकृत हैं।

दिनांक:

(नाम तथा हस्ताक्षर)
ग्रुप लीडर
(स्काउट तथा गाइड)

(नाम तथा हस्ताक्षर)
जिला संगठन आयुक्त
(स्काउट तथा गाइड)

(नाम तथा हस्ताक्षर)
जिला आयुक्त
(स्काउट तथा गाइड)

अजा/अजजा/के लिए जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ तुमारी* गाँव/शहर* जिला*
 मकान* जिला/गण राज्य क्षेत्र* जति/जनजाति में संबंधित है, जिसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के
 कानून लागूना प्राप्त है :-

- * मन्त्रिपरिषद् अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- * मन्त्रिपरिषद् अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- * मन्त्रिपरिषद् (अनुसूचित जाति) (गण राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- * मन्त्रिपरिषद् (अनुसूचित जनजाति) (गण राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- [अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956, मन्त्र परिषद् अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, त्रिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित]
- * मन्त्रिपरिषद् (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * मन्त्रिपरिषद् (अदमान व निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संशोधित
- * मन्त्रिपरिषद् (राज व नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
- * मन्त्रिपरिषद् (राज व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962
- * मन्त्रिपरिषद् (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * मन्त्रिपरिषद् (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- * मन्त्रिपरिषद् (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * मन्त्रिपरिषद् (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * मन्त्रिपरिषद् (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
- * मन्त्रिपरिषद् (मिझोर) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * मन्त्रिपरिषद् (मिझोर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * मन्त्रिपरिषद् (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
- * मन्त्रिपरिषद् (अरुणाचल प्रदेश) अधिनियम, 1990
- * मन्त्रिपरिषद् (अरुणाचल प्रदेश) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * मन्त्रिपरिषद् (अरुणाचल प्रदेश) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * मन्त्रिपरिषद् (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * मन्त्रिपरिषद् (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
- * अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/ गण राज्य क्षेत्र प्रभामन में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/ श्रीमती* पिता/ माता* के श्री/ श्रीमती/ तुमारी निवासी गाँव/ शहर* जिला/ मंडल* राज्य/ गण राज्य क्षेत्र* को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो जति/ जनजाति में संबंधित है, जिसे राज्य/ गण राज्य क्षेत्र में निवास में मान्यता प्राप्त है।

3 श्री/ श्रीमती/ तुमारी* और/ अथवा* इसका परिवार राज्य/ गण राज्य क्षेत्र के जिला/ मंडल* गाँव/ शहर* में निवास करने के लिए :-

स्थान
 दिनांक
 प्रस्ताव
 पदनाम
 (राज्य/गण राज्य क्षेत्र की मुहर सहित)
 राज्य/ गण राज्य क्षेत्र

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

नोट: (र) यहाँ इन्हें माल किण गा. पर "सामान्यतः निवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

1. जिला मंत्रिमंडल/ अथवा जिला मंत्रिमंडल/ जिलाधीन/ उप आदर/ अथवा उप आदर/ उप जिलाधीन/ प्रथम श्रेणी गृहमंत्री मंत्रिमंडल/ गव. दिविजनल मंत्रिमंडल/ सावका मंत्रिमंडल/ कार्यकारी मंत्रिमंडल/ अतिरिक्त महायव आयुक्त। 2. तीसरी श्रेणी मंत्रिमंडल/ अथवा तीसरी श्रेणी मंत्रिमंडल/ प्रथम श्रेणी मंत्रिमंडल। 3. राज्य अधिकाारी जो तहसीलदार में नाम है, का न हो। 4. उप क्षेत्र का गव. दिविजनल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है। 5. केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मंत्रिमंडल द्वारा प्रतिरुद्धाधिकृत किया गया हो। 6. प्रभागक/ प्रभागक के अधिकारी (जिलाधीन, मितियाय तथा अमीनदीवी क्षेत्र)।

ओबीसी प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी मुपुत्र/ मुपुत्री
.....गाँव/ शहर.....जिला/ मंडल..... राज्य/
संघ राज्य क्षेत्र..... समुदाय में संबन्ध रखता है, जिसे भारत सरकार,
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं.दिनांक * के अंतर्गत
अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी*.....और/ अथवा उसका
परिवारराज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
के..... जिला/ मंडलमें सामान्यतः
निवास करता/ करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण
विभाग के कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 की
अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/ वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण
विभाग के कार्यालय जापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा
13.09.2017** द्वारा आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट/ उप. आयुक्त आदि.

(मुहर)

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

** समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

घोषणा

अनलप्रक-डी

रेलवे भर्ती प्रवोष्ठ / गचक्यू-पी, अधिसूचना सं विलामपुर के रोजगार, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/ 762 / आरआरमी/2024-25 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले घोषणापत्र का प्रारूप-

"मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री.....

श्री.....गाँव/शहर/.....जिला.....

राज्य.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि

मैं.....समुदाय (अपनी उप-जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के

कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एसमीटी), दिनांक 8.9.1993 में अंतर्विष्ट आदेशों के

अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान

की गई है। यह भी घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय जापन 08.03.1993 और

उत्तरवर्ती कार्यालय जापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा

13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आता

हूँ।

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक :

उम्मीदवार का नाम

घोषणा

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की स्व-घोषणा

(रोजगार सूचना सं. पी-एचक्यू/आरआरमी/762/2024-25 के अंतर्गत आवेदन-पत्र जमा कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट के लिए दावा हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप)

मैं, _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____
निवासी गाँव/ शहर/ नगर _____ जिला _____ राज्य
_____ एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं _____ (केंद्रीय सरकार
द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाएँ, यथा मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोगोस्ट्रियन (पारसी)
संबद्ध रखता हूँ/ रखती हूँ।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर न्यायिक-स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोगोस्ट्रियन (पारसी) के अंतर्गत आता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या पी.एच.व्यू /आरआरमी/762/2024-25/ के पदों के लिए

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज गत्यापन के समय

परीक्षा शुल्क छूट की घोषणा का प्रोफार्मा

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. आवासीय पता :
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

जागी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जागी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर में ऊपर का राजस्व अधिकारी (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए (3) किसी शरीर उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी वीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़्जत एम्प्लोयी (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/ रेलवे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है (5) उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहाँ राज्य सभा का वर्तमान सदस्य सामान्यतः निवास करता है।